अपील एल आर– 243/2019 **हनुमान प्रसाद** बनाम **कैलाश कुमार व अन्य**

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2019/00243 अभि0 अपी0– गोविन्द शर्मा अधि0 रेस्पो0 संख्या 05– शोकिन्द लाल गुर्जर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-2-2020	पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा फर्द दस्तावेज (फार्म नम्बर 03) के साथ माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर मे एकलपीठ द्वारा निगरानी एल.आर.ए. संख्या 535/2020 जिला नागौर बउनवान कैलाश कुमार व अन्य बनाम हुनमान प्रसाद व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2019 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 02/2016 बउनवान हनुमान प्रसाद बनाम कैलाश के विरूद्ध एक अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की, जो न्यायालय हाजा मे बतौर अपील संख्या 243/2019 (2019/00243) बउनवान हनुमान प्रसाद बनाम कैलाश व अन्य दर्ज की गई। प्रकरण मे प्रत्यर्थी संख्या 05 केवियटकर्त्ता के अधिवक्ता एवं अपीलार्थी अधिवक्ता को सुना जाकर न्यायालय हाजा द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 26.12.2019 को अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2019 की पालना एवं प्रभाव के क्रम मे मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति ताफैसला मूल अपील यथावत कायम रखे जाने के आदेश पारित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड एवं शेष प्रत्यर्थीगण की तलबी हेतु आगामी दिनांक 30.01.2020 की पेशी नियत की गई। न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांकित 26.12.2019 के विरूद्ध एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर मे प्रस्तुत की गई जिसमे माननीय राजस्व मण्डल, की एकलपीठ द्वारा निगरानी एल.आर.ए. संख्या 535/2020 जिला नागौर बउनवान कैलाश कुमार व अन्य बनाम हुनमान प्रसाद व अन्य मे दिनांक 28.01.2020 को पारित निर्णय के अनुसार उक्त निगरानी एडमिशन स्तर पर ही स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.12.2019 को अपास्त करते हुए तहसीलदार नावां को यह आदेश दिए गए हैं कि वे मण्डल की एकलपीठ द्वारा अपील एलआर संख्या 3392/03 मे पारित निर्णय 21.03.2011 एवं माननीय मण्डल द्वारा स्पेशल अपील एलआर संख्या 3407/11 मे पारित निर्णय दिनांक 07.01.2016 की पालना मे युक्तियुक्त आदेश पारित करें। प्रत्यर्थी संख्या 5 अधिवक्ता की बहस एवं माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर की एकलपीठ द्वारा निगरानी एल.आर.ए. संख्या 535/2020 जिला नागौर बउनवान कैलाश कुमार व अन्य बनाम हुनमान प्रसाद व अन्य मे निर्णय दिनांक 28.01.2020 तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन उपरान्त हम इस नित्कर्ष पर पहुचें हैं कि न्यायालय हाजा मे विचाराधीन इस अपील संख्या 243/2019 (2019/00243) बउनवान हनुमान प्रसाद बनाम कैलाश व अन्य	

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

अपील एल आर– 243/2019 **हनुमान प्रसाद** बनाम **कैलाश कुमार व अन्य**

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2019/00243	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभि0 अपी0– गोविन्द शर्मा अधि0 रेस्पो0 संख्या 05– शोकिन्द लाल गुर्जर माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2020 के उपरान्त अपील सारहीन व निष्फल हो जाने से इसी स्तर पर अपील का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर की एकलपीठ द्वारा निगरानी एल.आर.ए. संख्या 535/2020 जिला नागौर बउनवान कैलाश कुमार व अन्य बनाम हुनमान प्रसाद व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2020 की पालना मे अपीलार्थी की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड पुनः लौटाया जावें। अधिवक्ता अभय पक्षकारान को सूचित किया जावें। संभागीय आयुक्त अजमेर	1508 17/2/2020

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2020.05.28 17:26:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: